कस्तूरी/800 पैड/1-20

प्रपत्र सं0 5196

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

गोरखपुर मण्डल

शाखा कार्यालय .....

प्रेषक :

नाम .....

पता .....

तिथि .....

सेवा में,

शाखा/मण्डल प्रबन्धक

**भारतीय जीवन बीमा निगम**

प्रिय महोदय,

**विषय : पालिसी सं० .....**

मेरी उक्त पालिसी पर ..... रू0 अथवा अधिकतम धन प्राप्त ऋण के रूप में भुगतान करने की कृपा करें। मैं उपरोक्त तथा पिछले ऋण 10.5% प्रतिवर्ष की दर से छमाही तथा चक्रवृद्धि ब्याज भी देना स्वीकार करता हूँ।

मैं अपनी पॉलिसी पर निम्नलिखित पृष्ठाँकन करवाना भी स्वीकार करता हूँ तथा निगम द्वारा यदि मेरी पॉलिसी पर ऋण का भुगतान दिया जाता है भी निम्नलिखित शर्तें मुझे स्वीकार होगी।

1. उनके पॉलिसी को निगम उनके उत्तराधिकारी अथवा अभ्यर्थी के पक्ष में पूर्णरूपेण समनुदेशित कर दी जायेगी जो ऋण की वापसी उस पर ब्याज तथा ऐसे सभी खर्च जो उस पर वहन करने होंगे, उसके प्रतिभूत रूप में वह बन्धक रूप में रखी जायेगी।
2. ऋण की वापसी उसके भुगतान तिथि से 6 माह के भीतर नहीं की जायेगी।
3. उस ऋण पर निगम उसके उत्तराधिकारी तथा अभ्यर्थी के निगम द्वारा ऋण देने के समय निश्चित किये हुये दर पर छमाही चक्रवृद्धि ब्याज देय होगा। जिसमें प्रथम ऋण किस्त का भुगतान लेने से 6 महीने बाद होगी तथा उसके बाद प्रत्येक 6 महीने पर होती रहेगी।
4. निगम द्वारा तीन महीने की सूचना देकर ऋण वापसी की माँग करने पर आपको ऋण तथा उस पर देय सभी ब्याज एक साथ लौटाना होगा।
5. यदि ऋण की राशि पूरी-पूरी वापस नहीं की जा रही हो तो निगम, उसके उत्तराधिकारी अथवा किसी भी उसके अभ्यर्थी की ऋण वापस लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा।
6. ऊपर लिखे रूप में ऋण की वापसी न किये जाने अथवा निश्चित तिथि पर ब्याज न दिये जाने या निश्चित तिथि बीत जाने के बाद एक माह के भीतर ऋण का भुगतान न किये जाने की दशा में निगम के हक में पालिसी निरस्त समझी जायेगी और निगम को अधिकार होगा कि उक्त पालिसी पर मिलने वाले अभ्यर्पण मूल्य की धनराशि से ऋण और ब्याज को पूरी रकम तथा प्रासंगिक खर्च ऋण की शर्तों के अधीन समायोजित कर लें और उस समायोजन के पश्चात् यदि कोई रकम शेष रह जाय तो उसे सम्बन्धित व्यक्ति को लौटा दें।
7. पालिसी के पूर्ण होने अथवा मृत्यु दावा होने की दशा में निगम को अधिकार होगा कि पूर्ण या मृत्यु दावे की मिलने वाली रकम में से ऋण अथवा उसका अदत्त भाग पालिसी की पूर्णता की तिथि अथवा मृत्यु की तिथि तक, जो भी लागू है, समुचित ब्याज सहित काट लें और कोई भी रकम फिर भी शेष बचती हो तो वही धन पालिसी पर शेष मानी जायेगी।
8. आपके पक्ष में पालिसी को पूर्णरूपेण समनुदेशित करके, ऋण की रसीद तथा समनुदेशन सम्बन्धित घोषणा पत्र पूरी तरह भर कर साथ में नत्थी कर रहा हूँ।

भवदीय

1. .....

2. .....

प्रपत्र सं0 5200

# ऋण राशि प्राप्ति की रसीद का प्रमाण

रूपया ..... स्थान ..... दिनांक .....

मैं/हम ( १ ) ..... ( २ ) .....

एतद्द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पालिसी संख्या ..... के अन्तर्गत मुझे/हम ऋण रूप में दी गयी रूपये ..... की धनराशि की प्राप्ति स्वीकार करता हूँ/करते हैं।

( शब्दों में )

1.

2.

| 1 रूपया का रसीद टिकट |
|---|

हस्ताक्षर

---

निर्देश : यदि ऋण लेने वाला हिन्दी न जानता हो अथवा निरक्षर हो तो उपरोक्त प्रपत्र की पूर्ति किसी हिन्दी जानने वाले व्यक्ति से करानी चाहिए और हस्ताक्षर का हिन्दी रूपान्तर अवश्य लिख लेना चाहिए। कदाचित एक या दोनों ऋण प्राप्तकर्ता निरक्षर हो तो घोषणाकर्ता को नीचे स्थान पर प्रमाणित करना आवश्यक है कि लगाया गया निशानी अंगूठा उपरोक्त वर्णित व्यक्तियों का है/के है, और यह पुष्टि करना चाहिए कि निशानी अंगूठा उसकी/उनकी उपस्थिति में लगाया गया/लगाये गये है।

---

# अधिकार-प्रपत्र

प्रपत्र सं0 5200 ( 1 )

यदि रसीद एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर की गई हो तो यह अपेक्षा की जाय की भुगतान हस्ताक्षरकर्ताओं में से किसी एक को अथवा उनके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को कर दिया जाय तो निम्नलिखित अधिकार पत्र पूरा भरा जाना चाहिए।

स्थान ..... दिनांक .....

मैं/एतद्द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिकार प्रदान करता/करती हूँ /करते है कि उपरोक्त ऋण की धनराशि में से रू० ..... ..... श्री ..... भुगतान कर दिया जाये।

हस्ताक्षर.....

हस्ताक्षर.....

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि अधिकार पत्र का विवरण ( १ ) श्री .....( २ ) ..... को भली भाँति समझा दिया गया है और वह/वें इस बात से सहमत है/हूँ कि उपरोक्त धनराशि का भुगतान अधिकार प्रदत्त व्यक्ति श्री ..... को कर दिये जाये।

नाम .....

पद ..... .....

पता ..... घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

---

निर्देश : यदि उपरोक्त अधिकार पत्र भरने वाले एक या दोनों व्यक्ति हिन्दी नहीं जानते हैं तो पत्र के नीचे लिखि घोषणा किसी हिन्दी जानने वाले व्यक्ति द्वारा भरी जानी चाहिए और उसे हस्ताक्षरों का हिन्दी रूपान्तर अवश्य लिखना चाहिए। यदि एक अथवा दोनों हस्ताक्षकर्ता निरक्षर हैं तो घोषणाकर्ता को यह भी पुष्टि करना चाहिए कि निशानी अंगूठा उपरोक्त व्यक्तियों के ही हैं और यह भी निशानी अंगूठा उसके सामने लगाये गये हैं। यदि ऋण की राशि ५००/-रू० से अधिक है तो घोषणाकर्ता निम्न में से एक होना चाहिए, जस्टिस आफ पीस, खण्ड विकास अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी, सरकार द्वारा संचालित किसी उच्च माध्यमिक स्कूल अथवा हाईस्कूल प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक, किसी राष्ट्रीकृत बैंक का एजेन्ट, बीमा निगम का प्रथम श्रेणी का अधिकारी अथवा जीवन बीमा निगम का विकास अधिकारी जिसकी नौकरी कम से कम ५ वर्ष की हो और जो अधिकार पत्र के हस्ताक्षकर्ताओं को भली भाँति पहचानता हो। यदि ऋण की राशि ५०० रू० अथवा उससे कम है तो घोषणाकर्ता तलाती राजस्व अधिकारी, जिला परिषद का अध्यक्ष अथवा ग्राम पंचायत का प्रधान भी हो सकता है।

## घोषणा-पत्र ( जब ऋण लेने वाला हिन्दी न जानता हो, उस समय भरने के लिए )

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने ही (1)..... (2)..... को उपरोक्त ऋण के आवेदन पत्र, अभ्यर्पण पत्र एवं ऋण प्राप्ति की रसीद आदि की सभी विवरण उनके द्वारा समझी जाने वाली ( ) भाषा से उन्हें ठीक-ठीक समझा दिया है और भी घोषणा करता हूँ कि उन्होंने भली-भाँति समझ लिया गया है। मैं भी पुष्टि करता हूँ कि अंगूठा निशान उसी व्यक्ति/उन्हीं व्यक्तियों के हैं जिनका/जिसके नाम घोषणा पत्र में लिखा है और अंगूठा निशान मेरी उपस्थिति में लगाया गया है/लगाये हैं।

नाम .....

पद ..... .....

पता ..... घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

**प्रपत्र सं0 3190**

( केवल प्रत्याशित बन्दोबस्ती पालिसियों, जो 24, 25 एवं 26 में जारी की गई हो, पर ऋण के समय भरने के लिए )

प्रिय महोदय,

विषय : पालिसी संख्या .....

लाभ सहित प्रत्याशि बन्दोबस्ती बीमा योजना के अन्तर्गत जारी की गई उपयुक्त पालिसी पर ऋण लेने के लिए अपने दिनांक ..... के प्रार्थना-पत्र के संदर्भ में मैं एतद्द्वारा इस बात के लिए सहमत हूँ कि-

1. पालिसी आरम्भ होने की तिथि से ..... वर्षो तक मेरे जीवित रहने की दशा में तथा (2) पालिसी प्रारम्भ होने की तिथि से ..... वर्षो तक मेरे जीवित रहने की दशा में निगम बीमा धन की उस समय देय किस्तों की पालिसी के अन्तर्गत बकाया ऋण की अदायगी के मद में जमा खर्चे कर सकता है बशर्ते की ऐसे जमा खर्च द्वारा समस्त बकाया ऋण की अदायगी के बाद यदि पूर्वोक्त बीमा धन को किस्त की कोई रकम शेष रह जाती है तो ऐसी शेष रकम मुझे देय होनी चाहिए।

भवदीय

---

**प्रपत्र सं0 3510**

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
गोरखपुर मण्डल

शाखा कार्यालय .....

पालिसी संख्या .....

मैं/हम एतद्द्वारा घोषित करता हूँ/करते हैं कि सिर्फ उन नोटिसों को छोड़कर यदि कोई हो जो भारतीय जीवन बीमा निगम अथवा उपरोक्त पालिसी जारी करने वाले बीमा व्यवसायी द्वारा पहले से ही पंजीकृत कर ली गई है, मैंने/हमने उपयुक्त पालिसी के सम्बन्ध में अभ्यर्पण या पुनरभ्यर्पण का कोई नोटिस भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी कार्यालय के नाम जारी नहीं किया है/किये है और न ही मैं/हम ऋण मूल्य/वापसी मूल्य के भुगतान के पहले अभ्यर्पण या पुनरम्भ्यर्पण का कोई नोटिस उक्त निगम के किसी कार्यालय के नाम जारी करूँगा/करेंगे।

बीमेदार के हस्ताक्षर .....

समानुदेशिति के हस्ताक्षर .....

दिनांक .....

---

**प्रपत्र सं0 5198**

## ( भारतीय जीवन बीमा निगम पालिसी पर ऋण प्राप्त करने हेतु निगम के पक्ष में पालिसी का अभ्यर्पण )

मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता .....(पूरा नाम)

बीमा पालिसी संख्या ..... के अन्तर्गत बीमेदार उपरोक्त बीमा पालिसी के अन्तर्गत प्राप्त अपने सारे अधिकार स्वामित्व तथा हित एवम् उनके द्वारा प्राप्त समस्त धन एवं लाभों को भारतीय जीवन बीमा निगम उनके उत्तराधिकारी एवं अभ्यर्थियों के पक्ष में उनसे प्राप्त मूल्य या बाद में प्राप्त होने वाले मूल्य हेतु पूर्णरूपेण अभ्यर्थित एवं हस्तानांतरित करता हूँ।

स्थान ..... दिनांक ..... माह .....20 .....

.....

बीमेदार का हस्ताक्षर

साक्षी

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पद .....

पता .....

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अभ्यपर्ण के समस्त विवरण अभ्यर्थी को मेरे द्वारा .....भाषा में समझा दिये गये हैं और उसके उपरोक्त विवरणों को भली-भाँति समझकर मेरी उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर किये हैं/अंगूठा निशान लगाया है।

साक्षी का हस्ताक्षर

# निर्देश

1. अभ्यपर्ण प्रपत्र को विभाजन रेखा से अलग करके पालिसी के पीछे रिक्त स्थान पर चिपका कर पूरा किया जाना चाहिए इस स्थिति में कोई भी स्टैम्प शुल्क देय नहीं होगा यदि अभ्यर्पण अलग कागज पर किया जाना है तो अभ्यर्पण का आलेख उचित मूल्य के स्टैम्प पेपर (स्पेशल एडहेसिव या सामान्य) पर नकल कर लेना चाहिए। ऐसे अभ्यर्पण प्रलेख (दस्तावेज) भेजने के पहले अभ्यर्पणाकर्ता को आश्वस्त हो जाना चाहिए कि उस पर समुचित स्टैम्प शुल्क अदा कर दिया गया है।

2. अभ्यर्पक को अभ्यर्पण हेतु अपने हस्ताक्षर, साक्षी की उपस्थित में करना चाहिए। यदि अभ्यर्पक को हिन्दी का ज्ञान नहीं है या यदि वह निरक्षर है तो उसे अपने हस्ताक्षर/या अपना अंगूठा निशान हिन्दी जानने वाले व्यक्ति की उपस्थिति में ही लगाना चाहिए। ऐसे परिस्थितियों में साक्षी को अभ्यर्पण आलेख के नीचे मुदित प्रमाण–पत्र पर भी अपने हस्ताक्षर करने चाहिए।

---

3. यदि हस्ताक्षर या अन्य कोई आलेख हिन्दी के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा में किया गया है तो उसके नीचे उसका हिन्दी रूपान्तरण अवश्य होना चाहिए।